बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462026
website : www.bubhopal.ac.in
email:- budrstore2015@gmail.com
Ph. 0755-2517062

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः 639 /भण्डार/2022 भोपाल, दिनांकः 01/06/22

:: वाहन किराये से उपलब्ध कराये जाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रण सूचना ::

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के उत्तरपुस्तिका वितरण कार्य हेतु लोडिंग वाहन की आवश्यकता है। इस बाबत वाहन किराये से उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा मे अपनी दरें दिनांकः 8-6-22 समयः 5:30 PM तक **कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल** के नाम से स्पीड पोस्ट/ कोरियर/ पत्र वाहक के माध्यम से **उपकुलसचिव, (भण्डार), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल** को निम्नांकित विवरण अनुसार प्रस्तुत करें :-

सं. क्र.	वाहन का नाम	प्रतिमाह या 3500 कि.मी. की दर रूपये मे	प्रतिमाह या 3500 कि.मी. से अतिरिक्त दर प्रति किलोमीटर में	जी.एस.टी. की दर प्रतिशत % में
01	**Tata 407 Mini Truck**			
02	**Mahindra DI 3200**			
03	**Eicher Pro 1049**			
04	**SML Isuzu Sartaj GS**			
05	**SML Isuzu Supreme GS**			
06	**Any Other Similar Vehicle**			

सीमित निविदा को प्रस्तुत करने के नियम एवं शर्ते–

(1) निविदा के साथ फर्म/ प्रोप्राईटर का पेन नम्बर तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
(2) निर्धारित समयावधि के पश्चात फर्मो से प्राप्त सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(3) निविदा मे मात्र चार पहिया वाहलन की ही दरें प्रस्तुत करें। ताकि नो एन्ट्री क्षेत्र मे आसानी से प्रवेश कर सकें।
(4) विश्वविद्यालय को प्रदाय किये जाने वाले वाहन में हुड या वाटरप्रूफ तिरपाल होना आवश्यक है। जिससे विश्वविद्यालय की सामग्री की पानी से सुरक्षा हो सके।
(5) विश्वविद्यालय की सामग्री जिसका परिवहन किया जाना है उसकी सुरक्षा का दायित्व निविदाकर्ता फर्म का होगा।
(6) निविदाकर्ता फर्म को विश्वविद्यालय के बताये हुए स्थान एवं समय पर वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
(7) निविदा मे सफल को कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिमाह बिल कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता के बिल से आयकर की कटौति नियमानुसार की जावेगी।
(8) वाहनों के परमिट रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टेक्स तथा पी.यू.सी. होना अनिवार्य है।
(9) वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लायसेन्स होना अनिवार्य है।

(10) यदि किसी कारण से वाहन पर पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता फर्म का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा इसका वहन नहीं किया जावेगा।

(11) वाहन के चालक को विश्वविद्यालय के नियंत्रण मे रहकर कार्य करना होगा।

(12) वाहन मे ईधन के रूप मे लगने वाले डीजल/पेट्रोल की व्यवस्था निविदाकर्ता फर्म को करना होगा।

(13) फर्म द्वारा टोल टैक्स की बील के साथ प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा टोल टैक्स का भुगतान फर्म को किया जावेगा।

(14) किराये से प्रदाय की जाने वाली लोडिंग वाहन 07 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(15) प्रदाय किये जाने वाले वाहन मे GPS (जी.पी.एस.) सिस्टम लगा होना अनिवार्य है।

(16) सीमित निविदा में जिस निविदाकार्ता ने न्यूनतम दर प्रस्तुत की उस फर्म का चयन किया जावेगा।

(17) विश्वविद्यालय के आदेश पर फर्म को विश्वविद्यालय की मांग अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा।

(18) किसी भी आदेश को बिना कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

(19) निविदा के साथ राशि रू. 10,000-00 की EMD (ड्राफ्ट) कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से जमा करना आवश्यक है।

(20) जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी EMD नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

(21) स्वीकृत निविदाकर्ता की EMD विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी। कार्य पूर्ण होने के पश्चात EMD वापस कर दी जावेगी।

(22) स्वीकृत/ अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई EMD पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

(23) न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

उप-कुलसचिव(भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल